संख्या-6-वे0आ0-2-244/दस-2022/ई0प0सं0-1383709

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 27 मई, 2022**

विषय:- रेशम विकास विभाग के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 को संशोधित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

रेशम विकास विभाग के कार्मिकों के संबंध में वित्त विभाग के निर्णय दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 के क्रम में निर्गत विभागीय शासनादेश दिनांक 08 अगस्त, 2013 में निर्धारित व्यवस्था के आधार पर प्रदर्शक (रेशम उत्पादन) पद पर चयन हेतु प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाने की बतायी गयी कठिनाई के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के निर्णय दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 के प्रस्तर-1(6) की विद्यमान व्यवस्था को निम्नवत संशोधित किया जाय :--

विद्यमान व्यवस्था	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित/संशोधित व्यवस्था
विभाग के प्रदर्शक/एफ0सी0एल0ए0/ ओवर सीयर/निदर्शक के पदों को संविलीन कर प्रदर्शक (रेशम उत्पादन) पदनामित किया जाय। इनके 90 प्रतिशत पदों को इण्टरमीडिएट (बायोलाजी/कृषि) के साथ छः माह के विभागीय प्रशिक्षण की अर्हता वाले अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष 10 प्रतिशत पदों को 10 वर्ष की सेवा वाले अनुरक्षक (रेशम उत्पादन) पदों से	विभाग के प्रदर्शक/एफ0सी0एल0ए0/ ओवर सीयर/निदर्शक के पदों को संविलीन कर प्रदर्शक (रेशम उत्पादन) पदनामित किया जाय। इनके 90 प्रतिशत पदों को इण्टरमीडिएट (बायोलाजी/कृषि) की अर्हता वाले अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष 10 प्रतिशत पदों को 10 वर्ष की सेवा वाले अनुरक्षक (रेशम उत्पादन) पदों से पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था निर्धारित करते

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था निर्धारित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-1 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।	हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-1 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त 06 माह के प्रशिक्षण की व्यवस्था समाप्त होने के उपरान्त अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियमावली में निर्धारित योग्यता के अनुसार प्रदर्शक पद हेतु जो भी चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उन अभ्यर्थियों को राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान बरकक्षा, मिर्जापुर अथवा अन्य नामित संस्था से प्रशिक्षण कराया जायेगा और उनके प्रशिक्षण के उपरान्त अर्हकारी परीक्षा भी ली जाय। अर्हकारी परीक्षा में असफल रहने पर 02 अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जाने और इसके उपरान्त भी असफल रहने पर अभ्यर्थी अनुपयुक्त माने जायें। परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी को उसकी वेतनवृद्धि तभी दी जाये जब उसने 01 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, विहित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

3- वित्त विभाग के निर्णय दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 को उक्त सीमा तक तत्काल प्रभाव से संशोधित किया जाता है तथा इसकी शेष व्यवस्थायें पूर्ववत लागू रहेंगी।

4- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।